सख्या:877 XXVII(7)च0श्रे0 / 2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:24 मार्च, 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान कमशः ₹2550–3200, ₹2610–3540, तथा ₹2650–4000, के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹4440–7400, तथा ग्रेड वेतन कमशः ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ₹1800 / – के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण / संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

(i) शासनादेश संख्या:283 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900 / – का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900 / – वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800 / – के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के पद ₹1800 / – के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800 / – की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800 / – ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।